न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 55/17

विशु मुर्मू वगैरह - बनाम - नमके मुर्मू वगैरह
धारा 144 दं० प्र० सं०

आदेश फलक

01-9-17

अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नगत भूमि भेलवा घाटी थाना अन्तर्गत मौजा-भातूडीह खाता नं० 08 प्लॉट नं० 5/5 कौरकवा 7.59 एकड़ में विवादित भूमि के संदर्भ में दोनो पक्षों के ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें दोनो पक्षों का कथन लिखित बहस में अंकित है। प्रथम पक्ष के ओर से जमीन संबंधित कागजातों की छाया प्रतियाँ दाखिल किया गया है।

दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना। प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष के पूर्वज के नाम से जमीन का कागजात है द्वितीय पक्ष का उक्त भूमि पर कोई अधिकार नहीं है वे बाजबरन भूमि को लेना चाहते हैं। जो गलत है।

द्वितीय पक्ष के ओर से भी कहना है कि वंशावली के आधार पर भूमि पर द्वितीय पक्ष का भी दावा बनता है। परन्तु भूमि दखल के बारे में वे कोई साक्ष्य-प्रमाण प्रस्तुत नही कर सके। इस वाद की अवधि समाप्त हो चुकी है अतएव वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनु० दण्डा०

अनुमंडल दण्डाधिकारी
खोरीमहुआ।